14/6/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/6/24 को पेश हो।

25/6/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/7/24 को पेश हो।

23/7/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/8/24 को पेश हो।

P.O से F.D जारी
लहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक भू.भ./24/2008 दिनांक 03/07/2024 के द्वारा निष्पादन करने में कोई आपत्ति प्रस्ताव प्राप्त। शामिल पत्रावली की जा रही है। किया गया।

14/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही निष्पादन प्रस्ताव दिनांक 21/8/24 को पेश हो।

प्रतिवादि वकील
(मनीष कुमार)
23/7/024

21/8/24 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/8/24 को पेश हो।

वादी वकील

27/8/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/8/24 को पेश हो।

29/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी के आवेदन अनुसार आदेश 6 R 17 CPC पेश किया। तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक भू.भ./24/2468 दिनांक 16.8.24 द्वारा निष्पादन प्रस्ताव प्राप्त। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आवेदन जवाब हेतु दिनांक 4/9/24 को पेश हो।

4/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी ने अतिरिक्त 6 R 17 CPC का दौराने बहस निवेदन किया कि।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
बनाम नितिन कुमार आदि
थाना: भोमपुरा
दावा 60/2024
दमा नं.

प्रतिवादिनी सेरुवा 2 का नाम वाद प्रस्तुत करते समय भूल से कौशल्या देवी पत्नि स्व० आदेश प्रसाद अंकित कर दिया जबकि प्रतिवादिनी सेरुवा 2 कौशल्या देवी पुत्री स्व० आदेश प्रसाद है। इसप्रकार प्रतिवादी सेरुवा 20 के रूप में राजकुमार पुत्र स्व० बीसाराम नाम अंकित कर दिया गया जबकि राजकुमार का वास्तविक नाम ताराचन्द पुत्र स्व० बीसाराम है। इसप्रकार न्यायहित में तथा प्रकरण के समुचित व अन्तिम निस्तारण हेतु प्रतिवादिनी सेरुवा 2 व प्रतिवादी सेरुवा 20 के नाम में आवेदन अनुसार संशोधन कर लाल स्याही से अंकन किया जाना न्यायोचित है।

वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस शपथ पत्र आदेश 6 R 17 CPC पर 100 breach of oath किया।

अतः वादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 R 17 CPC स्वीकार किया जाकर प्रतिवादिनी सेरुवा 2 कौशल्या देवी पत्नि स्व० आदेश प्रसाद के स्थान पर कौशल्या देवी पुत्री स्व० आदेश प्रसाद तथा प्रतिवादी सेरुवा 20 के स्थान पर राजकुमार पुत्र स्व० बीसाराम के स्थान पर तारचन्द पुत्र स्व० बीसाराम का अंकन लाल स्याही से किया जाता है।

वकील वादी ने तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक भू.भ./24/2468 दिनांक 16/8/24 द्वारा प्राप्त निष्पादन प्रस्ताव अनुसार वाद की अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने भी सहमति व्यक्त की।

अतः वादी वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक भू.भ./24/2008 दिनांक 03.07.24 एवं भू.भ./24/2468 दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्राप्त निष्पादन प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम निर्णय/डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सीकर ग्रामीण द्वारा प्राप्त निष्पादन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय व डिक्री अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फौजदारी शुमार होकर दफ्तर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 4/9/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अभिभाषक संघ,